पत्रांक –1/आ0प्र0यो0–15/2016/ ....85........../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव।

सेवा में

विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दि0– 12/2/19

विषय : **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष –0211–सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विपत्र कोड–39–2245801020211, विस्तृत शीर्ष– 20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष – 03– प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत ₹29,72,400 (उनतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ रूपये) आवंटन की स्वीकृति ।**

आदेश –स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष –2018–19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष –0211–सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विपत्र कोड–39– 2245801020211, विस्तृत शीर्ष– 20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष – 03– प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार हैः–
उप मुख्य शीर्ष –80–सामान्य
लघु शीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
उपशीर्ष –0211–सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण
मांग सं0–39,

(राशि रूपये में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	योग
1	2	3	4	5	6
1.	20–अन्य प्रशासनिक व्यय	03– प्रशिक्षण व्यय	0 (शून्य)	29,72,400 (उनतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ)	29,72,400 (उनतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ)

4. यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–275/आ0प्र0 दिनांक –04.02.19 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है । राशि की निकासी कर बैकर्स चेक / ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक मुश्त भुगतान इस शर्त के साथ किया जायेगा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लेखा पंजी के निरीक्षण /अंकेक्षण करने का अधिकार सरकारी अंकेक्षकों एवं महालेखाकार के अंकेक्षकों को होगा।

5 इस राशि का व्यय बिहार के दो जिलों –खगड़िया एवं समस्तीपुर में समुदाय को प्रशिक्षित कर आपदा से सामाना करने योग्य बनाने के निमित किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे ।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय । विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक –2561वि0(2) दिनांक –17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक –15.03.2019 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय ।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर " आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय ।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना , वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है. । इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक – 85 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 12/2/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक – 85 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 12/2/19

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना तथा आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक – 85 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 12/2/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक – 85 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 12/2/19

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक–.........85........../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 12/2/19

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/विशेष कार्य पदाधिकारी (योजना) /सांखियकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/लेखा शाखा (दो प्रति में) /कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव